

# विषाक्त पदार्थों से संदूषित स्थल

प्रीलिम्स के लिये:	
विषाक्त पदार्थ जनति संदूषण	
मेन्स के लियै:	

# चर्चा में क्यों?

संदूषण का नयिमन

'कंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board- CPCB) द्वारा जारी हा<mark>ल ही के आँकड़ों</mark> के अनुसार, भारत में कुल 324 संभावति विषाक्त पदार्थ संदूषक स्थलों में से 128 को विषाक्त और खतरनाक पदार्थों से दूषित पाया गया, जबकि 196 स्थलों के परिणामों की अभी पुष्टि की जानी है।

### मुख्य बदुि:

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ऐसे स्थलों की निगरानी कर रहा है तथा जिन स्थलों क<mark>ो दूषित पाया जा</mark>ता है उनकी सफाई की व्यवस्था करता है।
- इन संदूषित स्थलों की सफाई के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुपालन 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal- NGT) के निर्देशों के अनुसार होता है।

# खतरनाक रासायनकि संदूषक: वे होते हैं जो-

- एक बड़ी आपदा का कारण बन सकते हैं।
- जो अत्यधिक विषाक्त तथा प्रदूषणकारी हैं।
- कचरा उत्पन्न करते हैं तथा जनिका सुरक्षित और पर्याप्त रूप से निपटान नहीं जा सकता है।

खतरनाक संदूषकों का आयात, खरीद एवं बिक्री, भंडारण, परविहन, लेबलिंग, रिकॉर्ड तथा बिक्री दस्तावेज़ों का रखरखाव के माध्यम से सुरक्षित रूप से निपटान किया जाता है।

# प्रमुख संदूषति स्थल:

- ऐसे संदूषित स्थलों के मामलों में पश्चिम बंगाल (27 स्थल) तथा ओडिशा (23 स्थल) शीर्ष पर हैं।
- एजेंसियों ने 6 राज्<mark>यां- केरल, ओ</mark>डिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल , मध्य प्रदेश में ऐसे 20 स्थलों की सफाई करने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या कार्ययोजना ( Plan of Action) तैयार की है ।

#### संदूषण स्थल तथा कारक:

### संदूषण स्थल

तमलिनाडु

एलोर (केरल) रनिया (उत्तर प्रदेश) मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

कोडाइकनाल (तमलिनाडु), गंजम (ओडशा)

#### संदूषण कारक एवं कारण

- भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटिंड की भूमिगत तेल पाइपलाइनों के तेल रिसाव के कारण तेल संदूषण
- कीटनाशक एवं भारी धातु के कारण खाड़ियों में संदूषण
- क्रोमियम संदूषण
- रामगंगा नदी के तट पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का अनुचित तरीके से निपटान
- मिट्टी में पारे का संदूषण

### खराब रिकॉर्ड:

- स्वतंत्र संगठनों के अनुसार, रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने में भारत का खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
- 'टॉक्सिक लिक' (Toxics Link) संगठन जो कि खतरनाक अपशिष्ट निपटान की दिशा में कार्य करता है, के अनुसार, वर्ष 2016-2019 के बीच औसतन प्रतिमाह चार प्रमुख रासायनिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जबकि अनेक दुर्घटनाओं को विधिवित दर्ज ही नहीं किया गया ।
- NGT द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार, खतरनाक अपशिष्ट (Hazardous Waste- HW) प्रबंधन की दिशा में अब तक तैयार की गई इन्वेंट्री (पर्याप्त संसाधन) समग्र समाधान करने में कारगर नहीं है।

### संदूषण के प्रमुख कारण:

- नदी जल के भारी धातु से संदूषित होने का मुख्य कारण खनन, कबाड़ उद्योग तथा धातु सतह परिष्करण उद्योग हैं जो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की ज़हरीली धातुओं को मुकत करते हैं।
- पिछले कुछ दशकों में नदी के पानी और तलछटों में भी इन भारी धातुओं की सांद्रता तेज़ी से बढ़ी है। नदी जल संदूषण का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ कृषि तथा औद्योगिक गतविधियों में वृद्धि है।
- भारत में मौसम के आधार पर भी संदूषण के स्तर में बदलाव देखा जाता है। उदाहरण के लिये मानसून के दौरान गंगा नदी में लोहे द्वारा संदूषण अधिक देखा जाता है लेकिन गैर-मानसून अवधि के दौरान इसमें काफी गरिावट देखी जाती है।

#### आगे की राह:

- ऐसे उद्योग क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ रसायन एवं अपशिष्ट पदार्थ चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- संवाद शुरू करने हेतु संबंधित उद्योग क्षेत्रों, संगठनों और समूहों को संलग्न करना।
- संकट एवं जोखिमों से निपटने हेतु संचार सुनिश्चित करना, सुरक्षित विकल्पों हेतु जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण एवं अवसरों की पहचान करने की दिशा में कार्य करना होगा।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sites-contaminated-by-toxic-substances